मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

नियम

1. संस्था का नाम : मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, विंध्याचल भवन, भोपाल एवं पता

2. विस्तार एवं प्रयुक्ति – ये नियम प्राधिकरण से संबद्ध समस्त इकाईयों और गतिविधियों पर लागू होंगे। ये नियम मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, के तहत मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के पंजीयन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

   कार्यक्षेत्र : संपूर्ण मध्यप्रदेश।

3. उद्देश्य : मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

   1. मध्यप्रदेश के ग्रामों को सड़कों से जोड़ने से संबंधित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।
   2. उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विदेशी सहायता सहित अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करना।
   3. ग्रामीण सड़कों से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध की व्यवस्था करना एवं इस हेतु राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थाओं से समन्वय करना।
   4. ग्रमीण सड़कों के निर्माण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए समन्वित कार्य योजना तैयार करवाना एवं इनके क्रियान्वयन से संबंधित नीतिगत निर्णयों हेतु राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना।

4. परिभाषाएं : इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो

   1. प्राधिकरण से तात्पर्य मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरणहै।
   2. जिला पंचायत से तात्पर्य मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 में परिभाषित जिला पंचायत से है।
   3. सभापति से तात्पर्य प्राधिकरण की साधारण सभा के सभापति से है।
   4. उपसभापति से तात्पर्य प्राधिकरण की साधारण सभा के उपसभापति से है।
   5. सदस्य सचिव से तात्पर्य प्राधिकरण की साधारण सभा के सदस्य सचिव से है।
   6. राज्य शासन से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है।
   7. परियेाजना क्रियान्वयन इकाई से तात्पर्य उस परियेाजना क्रियान्वयन इकाई से होगा जिसे इन नियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश के भीतर किसी क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य को संपादन करने का दायित्व सौंपा गया है यह इकाई प्राधिकरण की शाखा के रूप में कार्यरत रहेगी।
   8. कलेक्टर से तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है।
   9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी से तात्पर्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से है।
   10. अध्यक्ष से तात्पर्य प्राधिकरण की कार्यकारिणी के अध्यक्ष से है।
   11. मुख्य तकनीकी महाप्रबंधक से तात्पर्य प्राधिकरण के मुख्य तकनीकी महाप्रबंधक से है।

12. तकनीकी महाप्रबंधक से तात्पर्य प्राधिकरण के तकनीकी महाप्रबंधक से है।

13. प्रबंधक वित्त से तात्पर्य प्राधिकरण के प्रबंधक वित्त है।

14. परियोजना महाप्रबंधक से तात्पर्य प्राधिकरण के परियोजना क्रियान्वयन इकाई के परियेाजना महाप्रबंधक से है।

15. परियोजना सहायक प्रबंधक से तात्पर्य प्राधिकरण के परियोजना क्रियान्वयन इकाई के परियेाजना सहायक प्रबंधक से है।

16. परियोजना लेखाधिकारी से तात्पर्य प्राधिकरण के परियोजना क्रियान्वयन इकाई के परियेाजना लेखाधिकारी से है।

5. प्राधिकरण की साधारण सभा : प्राधिकरण की साधारण सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

सभापति : माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

उपसभापति : माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

पदेन सदस्य : माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।

माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग।

माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।

माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग।

माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग।

मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन

प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग

सचिव, मध्यप्रदेश अधोसंरचना विकास बोर्ड, मंत्रालय, भोपाल

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

आयुक्त, मंडी, भोपाल

प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग

मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/अधीक्षण यंत्री, प्रभारी, ग्रामीण सड़क, विकास आयुक्त कार्यालय

नामांकित सदस्य : ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक नामांकित प्रतिनिधि।

केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के एक नामांकित प्रतिनिधि।

सभापति द्वारा नामांकित दो विषय वस्तु विशेषज्ञ।

सभापति द्वारा नामांकित कोई दो परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों के प्रभारी अधिकारी।

सदस्य सचिव : प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

6. पदेन सदस्यों का कार्यकाल :

(क) नियम 5 की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले पदेन सदस्य संबंधित पद धारित करने तथा सभा के सदस्य बने रहेंगे और ऐसे पदों से हटते ही उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जावेगी। इस प्राकर जिस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त होगी उसके संबंधित पद पर उत्तराधिकारी ऐसे पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सभा का सदस्य बन जायेगा और सदस्य के रूप में उकसा कार्यकाल भी उसी प्रकार माना जायेगा।

(ख) यदि साधारण सभा के किसी पदेन सदस्य का पद समाप्त हो जाये या ऐसे पद के नाम में परिवर्तन हो जाये या किसभ पद विशेष के धार के संबंध में संशय की स्थिति उत्पन्न हो, तो संबंधित पद के उत्तराधिकारी या धारक के विषय में शासन निर्णय से प्राधिकरण को अवगत कराने, वाली शासन की प्रमाणित संसूचना इस विषय में अंतिम तथा निर्णायक मानी जावेगी।

7. नामांकित सदस्यों का कार्यकाल :

नियम 5 के अंतगर्त नामांकित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। ऐसे सदस्य पुनः नामांकन के लिए अर्ह होंगे। नामांकित सदस्य की सदस्यता प्राधिकरण द्वारा नामांकन संबंधी अधिकारिक सूचना जारी करने की तिथि से आरंभ होगी।

8. सदस्यता की समाप्ति :

किसी सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने या मानसिक रूप से विकृत हो जाने या दिवालिया हो जाने या नैतिक अधः पतन के स्वरूप के अपराध के लिए दंडित होने की दशा में उसकी सदस्यता स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

9. सदस्यता से त्याग पत्रः

साधारण सभा की सदस्रूता से त्यागपत्र, साधारण सभा के सदस्य सचिव को भेजा जावेगा और वह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक उसे सभापति द्वारा स्वीकार न कर लिया जावे।

10. नामांकित श्रेणी में समयपूर्व होने वाली रिक्तियॉं :

त्याग पत्र या अन्य कारणों से नामांकित श्रेणी में समय पूर्व होने वाली रिक्ति की पूर्ति नामांकन द्वारा होगी और इस प्राकर नामांकित व्यक्ति समय पूर्व समाप्त सदस्यता की केवल शेष अवधि के लिए सदस्य बना रहेगा।

11. यदि प्राधिकरण के पदेन सदस्य बनने की पात्रता रखने वाला व्यक्ति फिलहाल उसका सदस्य न हो या नियुक्ति के अभाव में अथवा अन्य किसी भी कारण से प्राधिकरण की सदस्यता में कोई रिक्तियॉ हो तो भी प्राधिकरण अपने कृत्य करते रहेगा और मात्र उपर्युक्त में से किसी भी घटना के कारण या प्राधिकरण के किसी सदस्य की नियुक्ति में किसी दोष के कारण प्राधिकरण की कोई कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

12. प्राधिकरण के कृत्य : ज्ञापन के पद 3 में उल्लेखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राधिकरण ाके कृत्य निम्नानुसार होंगे अर्थात्

(एक) प्रदेश के ग्रामों को सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक समस्त गतिविधियॉ संपन्न करना, वित्तीय व्यवस्था करना, धनराशि उपलब्ध कराना, कार्यक्रमों के क्रियान्वयनों का अनुश्रवण करना और क्रियान्वयन की समीक्षा करना।

(दो) प्रदेश के ग्रामों को सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आवश्यक नीति निर्धारण करना एवं दिग्दर्शन करना।

(तीन) ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु मैदानी स्तर पर परियेाजना क्रियान्वयन इकाई का गठन प्राधिकरण की शाखा के रूप में करना एवं इस इकाई को कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करना।

(चार) प्राधिकरण से संबंधित विषयों पर सम्मेलन, गोष्ठी एवं कार्यशालायें आयोजित करना।

(पांच) ग्रामीण सड़कों के विकास से संबंधित शोध, अध्ययन या मूल्यांकन इत्यादि हाथ में लेना और उन्हें प्रोत्साहित करना।

(छह) ग्रामीण सड़कों के विकास से संबंधित उत्कृष्ट एवं स्थापित संस्थाओं और नवीन संस्थाओं से संपर्क स्थापित कर तकनीकी संसाधन सहयोग (Technical Resource Support) सुनिश्चित करना।

(सात) ग्रामीण सड़कों के विकास से संबंधित कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी समय–समय पर राज्य शासन को उपलब्ध कराना।

13. साधारण सभा की शक्तियॉ : प्राधिकरण की साधारण सभा को निम्नलिखित शक्तियॉ प्राप्त होंगी :

(एक) केन्द्र सरकार, राज्य शासन एवं स्वायत्त संस्थाओं के सहयोग से प्राधिकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त अधिकार सम्पन्न प्रशासनिक ढांचा निर्मित करना।

(दो) प्राधिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न स्तरों जिसमें मैदानी स्तर भी सम्मिलित है को आवश्यक शक्तियॉ प्रत्यायोजित करना।

(तीन) प्राधिकरण के कार्य संचालन हेतु नियम बनाना, आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन करना, नियमों में परिवर्तन करना और नियमों को निरस्त करना।

(चार) प्राधिकरण के उद्देश्य के अनुरूप धन, प्रतिभूति और किसी प्रकार की संपत्ति के रूप में प्राप्त अनुदान को स्वीकार करना और किसी धर्मादा, न्यास, निधि या दान का स्वीकार करना और अपने ऊपर लेना।

(पांच) कार्यकारिणी को ऐसी शक्तियॉ एवं कर्तव्य सौंपना जैसा प्राधिकरण उचित समझे।

(छह) कार्यकारिणी द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट पर विचार कर अनुमोदन करना।

(सात) ऐसे समस्त कार्य एवं गतिविधियॉ हाथ में लेना जो प्राधिकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो।

(आठ) रूपये 5 करोड़ से अधिक की निविदाओं की स्वीकृति देना।

साधारण सभा की बैठकें :

14. साधारण सभा की बैठकें सभापति द्वारा निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर आयोजित होंगी। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जावेगी परंतु प्रत्येक वित्त वर्ष में साधारण सभा की कम से कम दो बैठकें आवश्यक होंगी।

15. जब तक नियमों में अन्यथा प्रावधानित न हो, समस्त बैठकें सदस्य–सचिव के हस्ताक्षर से जारी नोटिस द्वारा बुलाई जावेगी।

16. साधारण सभा की बैठकों की अध्यक्षता सभापति द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा की जावेगी।

17. साधारण सभा के कोरम के लिए एक तिहाई सदस्यों की व्यक्तिशः उपस्थिति आवश्यक होगी परंतु स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगा।

18. साधारण सभा की बैठकों में सभी विवादित मुद्दों का निर्णय मतदान द्वारा होगा और पक्ष–विपक्ष में समान मत पड़ने की स्थिति में बैठक की अध्यक्षताकरने वाला व्यक्ति निर्णायक मत देगा।

19. साधारण सभा की हर बैठक का नोटिस उसके कम से कम 10 दिन पहले प्रत्येक सदस्य को दिया जावेगा परंतु अध्यक्ष 3 दिन के नोटिस पर आपात बैठक बुला सकेंगे।

20. कार्यकारिणी :

प्राधिकरण द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण के कार्यों का संचालन कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा जिसका गठन निम्नानुसार होगा –

1. अध्यक्ष
2. पदेन सदस्य : प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग, आयुक्त, मंडी,
प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
अधीक्षण यंत्री, प्रभारी, ग्रामीण सड़क, विकास आयुक्त कार्यालय,
प्रबंधक वित्त, मुख्यालय कार्यालय

3. नामांकित सदस्य : केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के नामांकित प्रतिनिधि।
अध्यक्ष द्वारा नामांकित एक विषय वस्तु विशेषज्ञ।

4. सदस्य सचिव : प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

कार्यकारिणी का कार्यकालः

21. नामांकित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा। ऐसे सदस्य पुनः नामांकन के लिए अर्ह होंगे। इस प्रकार नामांकित सदस्य की सदस्यता नामांकन संबंधी अधिकारिक सूचना जारी करने की तिथि से आरंभ होगी।

22. किसी सदस्य द्वारा त्याग पत्र देने या मानसिक रूप से विकृत हो जाने या दिवालिया हो जाने या नैतिक अधः पतन के स्वरूप के अपराध के लिए दंडित होने की दशा में उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जावेगी।

23. कार्यकारिणी की सदस्यता से त्याग पत्र कार्यकारिणी के सदस्य सचिव को भेजा जावेगा और तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक उसे अध्यक्ष द्वारा स्वीकार न कर लिया जाये।

24. नामांकित सदस्य की समय पूर्व होने वाली रिक्ति की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी नामांकन द्वारा करेंगे और इस प्रकार नामांकित व्यक्ति समयपूर्व समाप्त सदस्यता की केवल शेष अवधि के लिए सदस्य बना रहेगा।

25. यदि कार्यकारिणी का पदेन सदस्य बनने की पात्रता रखने वाला कोई व्यक्ति फिलहाल उसका सदस्य न हो या नियुक्ति के अभाव में अथवा अन्य किसी भी कारण से कार्यकारिणी की सदस्यता में कोई रिक्तियॉ हो तो भी कार्यकारिणी अपने कृत्य करती रहेगी और मात्र उपर्युक्त में से किसी भी घटना के कारण या कार्यकारिणी के किसी सदस्य की नियुक्ति में किसभ दोष के कारण कार्यकारिणी की कोई कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

कार्यकारिणी की बैठकें :

26. कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता उसके अध्यक्ष द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष के द्वारा नामांकित कार्यकारिणी के किसी सदस्य द्वारा की जावेगी।

27. कोरम के लिए कार्यकारिणी के आधे सदस्यों की व्यक्तिशः उपस्थिति आवश्यक होगी, परंतु स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगा।

28. कार्यकारिणी की हर बैठक का नोटिस उसके कम से कम सात दिन पहले प्रत्येक सदस्य को दिया जावेगा परंतु

(क) अध्यक्ष 48 घंटे के नोटिस पर आपात बैठक बुला सकेंगे और

(ख) असावधानी–जन्य त्रुटि के कारण किसी सदस्य को बैठक का नोटिस न दिया जाने अथवा किसी सदस्य को नोटिस प्राप्त न होने के कारण किसी बैठक की कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

29. कार्यकारिणी की बैठक के प्रत्येक नोटिस में बैठक की तिथि, समय और स्थान का उल्लेख होगा और उसे जब तक इन नियमों में अन्यथा प्रावधानित न हो, सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जावेगा।

30. कार्यकारिणी की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जावेगी परंतु प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक आवश्यक होगी।

31. अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य का एक मत (वोट) होगा। कार्यकारिणी के समक्ष निर्णय हेतु उठे किसी मुद्दे के पक्ष–विपक्ष में बराबर मत पड़ने की दशा में अध्यक्ष एक अतिरिक्त निर्णायक मत देंगे।

कार्यकारिणी के कृत्य :

32. प्राधिकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपाय करना तथा नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण के समसत कृत्य संपादित करना कार्यकारिणी का उत्तदायित्व होगा।

कार्यकारिणी की शक्तियॉ :

33. कार्यकारिणी :

(एक) समस्त प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी शक्तियों का उपयोग करेगी।

(दो) प्राधिकरण के समस्त मामलों एवं वित्त के प्रबंधका नियंत्रण करेगी।

(तीन) प्राधिकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियम, उपनियम एवं विनियम बना सकेगी।

(चार) अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक या निजी संगठनों अथवा व्यक्तियों से अनुबंध कर सकेगी।

(पांच) केन्द्र सरकार, राज्य शासन, सार्वजनिक निकाय या व्यक्तियों से क्रय, दान या अन्य प्राकर से चल अचल संपत्ति या अन्य निधियों, उनसे जुड़ें हुए दायित्वों के साथ, प्राप्त और अर्जित कर सकेगी बशर्तें ऐसा करना प्राधिकरण के उद्देश्यों एवं इन नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल न हो।

(छह) प्राधिकरण के उपयोग के लिए आवश्यक भवनों का निर्माण करा सकेगी या इसके लिए अनुबंध कर सकेगी तथा प्राधिकरण के कृत्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक भण्डार एवं सेवाएं अर्जित कर सकेगी।

(सात) ज्ञापन पत्र के अनुच्छेद ''उद्देश्य'' के अध्यधीन रहते हुए प्राधिकरण की किसी भी चल एवं अचल संपत्ति को बेच सकेगी अथवा लीज पर दे सकेगी परंतु शर्त यह होगी कि शासकीय अनुदानों द्वारा निर्मित प्राधिकरण की कोई भी परिसंपत्तियॉ शासन के पूर्वानुमोदन के बिना निराकृत या भारित नहीं की जावेगी और न ही उस प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जावेगी जिसके लिए प्राप्त अनुदान से वे निर्मित की गई थी।

(आठ) ग्रामीण सड़क कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्थाई, तदर्थ समितियॉ, कार्यदल आदि गठित कर सकेगी और उनकी सदस्यता, शक्तियॉ और कृत्य निर्धारित कर सकेंगी।

(नौ) ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शक्तियों के साथ, जैसा कार्यकारिणी उचित समझे, सलाहकार मण्डलों या अन्य विशेष स्वरूप की समितियों को, संकल्न पारित कर, नियुक्त कर सकेगी, और ऐसे मण्डलों और समितियों को भंग कर सकेगी।

(दस) कार्यकारिणी अपने किसी सदस्य, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मंडल या समितियों को या प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी, को ऐसी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी शक्तियॉ

प्रत्यायोजित कर सकेगी तथा उनके लिए ऐसे कर्तव्य निर्धारित कर सकेगी जैसा वह उचित समझे और साथ ही ऐसी सीमायें भी निर्धारित कर सकेगी जिनके अंतर्गत उक्त शक्तियों का उपयोग और दायित्वों का निर्वहन किया जावेगा।

(ग्यारह) रूपये 5 करोड़ तक की निविदायें स्वीकृत करेगी।

विनियमः

34. प्राधिकरण के विशिष्ट निर्देशों, यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हुए और केन्द्र तथा राज्य सरकारों की दिशा निर्देश को दृष्टिगत रखते हुए, प्राधिकरण के मामलों के प्रशासन और प्रबंधक के लिए कार्यकारिणी इस प्रकार विनियम बना सकेगी और उनमें संशोधन कर सकेगी कि वे इन नियमों के प्रतिकूल न हो और इन प्रावधान की व्यापकता को कम किये बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित मामलों से संबंधित हो सकेंगे –

1. अधिकारियों एवं स्टाफ के सेवा संबंधी मामले जिनमें अर्हताऍं, चयन प्रक्रिया, सेवा शर्तें, संविदा पर नियुक्त कर्मचारियेां के वेतन एवं परिलब्धियॉं, अनुशासन एवं नियंत्रण संबंधी नियम सम्मिलित होंगे।
2. महत्वपूर्ण वित्तीय मामले जिनमें बजट बनाना, खरीद की प्रक्रिया, वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, धनराधि का निवेश, लेखाओं का रख रखाव एवं आडिट संबंधी नियम आदि शामिल होंगे तथा
3. ऐसे अन्य विषय जिन पर विनियम बनाना, प्राधिकरण के उद्‌देश्यों की प्राप्ति और उसके मामलों की समुचित प्रशासन की दृष्टि से आवश्यक हों।

परन्तु इस नियम के प्रयोजन के लिए सेवा एवं वित्त संबंधी विनियम बनाते समय निम्नलिखित दिशा निर्देशो का ध्यान रखा जावेगा –

(क) प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारियों क पदों के वेतनमान और भत्ते राज्य शासन के वेतनमान और भत्तों के अनुरूप होंगे।

(ख) प्राधिकरण के लिए राज्य शासन द्वारा निर्मित पदों पर भर्ती केवल प्रतिनियुक्ति पर अथवा संविदा के आधार पर ही की जावेगी संविदा शर्तो एवं पारिश्रमिक का निर्धारण कार्यकारिणी द्वारा किया जावेगा।

(ग) प्राधिकरण द्वारा ऐसा स्टाफ नियुक्त नही किया जावेगा जिससे राज्य शासन पर कालांतर में स्थाई स्वरूप का दायित्व बने।

(घ) जब तक प्राधिकरण के अपने विनियम नही बन जाते तब तक ऐसे सभी मामलों में कार्यकारिणी के निर्णय लागू होंगे।

(च) आरक्षण के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित सिद्धान्तों का पालन किया जावेगा।

(छ) वित्तीय उपयुक्तता (Propriety) और (Prudence) के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जावेगा।

उपनियमः

35. प्राधिकरण के विशिष्ट निर्देशों और इन नियमों तथा उनके अंतर्गत बनाये जाने वाले विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए कार्यकारिणी प्राधिकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु उपनियम बना सकेगी और उनमें संशोधन कर सकेगी तथा ऐसे उपनियमों को विषय वस्तु में निम्नालिखित मामले सम्मिलित होंगे–

(क) साधारण सभा, कार्यकारिणी और अन्य समितियों एवं उपसमितियों की कार्यवाही का संचालन।

(ख) व्यक्तियों का नियोजन और उनके साथ संविदात्मक व्यवस्थाएँ।

(ग) ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम की सुलभता तथा समाज की सहभागिता में अभिवृद्धि के लिए उन्हें प्रदान की जाने वाली सुविधायें एवं प्रोत्साहन।

(घ) तकनीकी संसाधन सहयोग से संबंधित सभी पहलु।

(च) ऐसी अन्य गतिविधियाँ जो ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम में क्रियान्वयन के लिय भारत शासन या राज्य शासन के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है।

कार्यकारिणी के अध्यक्ष :

36. अध्यक्ष–

(1) सुनिश्चित करेंगे कि प्राधिकरण की गतिविधियाँ भारत सरकार एवं राज्य सरकार के ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम एवं प्राधिकरण के ज्ञापन पत्र, नियमों, विनियमों और उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार दक्षतापूर्वक संचालित हो।

(2) कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कार्यकारिणी की बैठक कभी भी स्वयं बुला सकेंगे या सदस्य सचिव को लिखित निर्देश देकर उनसे बुलवा सकेंगे।

(4) पक्ष विपक्ष में बराबर मत पड़ने वाले मतों की वैधता का निर्णय करने वाले एक मात्र एवं अंतिम प्राधिरी होंगे।

(5) कार्यकारिणी की सभी बैठकों में पड़ने वाले मतों की वैधता का निर्णय करने वाले एक मात्र एवं अंतिम प्राधिकारी होंगे।

(6) कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेंगे परन्तु ऐसे व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(7) आपात स्थिति में सदस्य सचिव को कार्यकारिणी की बैठक अल्प सूचना पर बुलाने के निर्देश दे सकेंगे और

सदस्य सचिव के कृत्य एवं शक्तियाँ :

37. मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के प्रमुख सचिव साधारण सभा एवं कार्यकारिणी के सदस्य सचिव होंगे।

38. अपने कृत्यों के कारगर निर्वहन के लिए उन्हें निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होगी –

(क) साधारण सभा एवं कार्यकारिणी की बैठकों की कार्यवाही का विवरण अभिलिखित एवं संधारित करना।

(ख) अन्य ऐसे कृत्य संपादित करना जो प्राधिकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधारण सभा या कार्यकारिणी द्वारा सौंपे जावें।

प्राधिकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कृत्य एवं शक्तियाँ :

39. प्राधिकरण के एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे।

40. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्राधिकरण मामलों एवं वित्त के उचित प्रशासन, प्रबंधन तथा कार्यकारिणी के अध्यक्ष के निर्देशों एवं मार्ग दर्शन के अनुसार विभिन्न गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

41. अपने कृत्यों के कारगर निर्वहन के लिए निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होगी –

(क) कार्यक्रम के प्रत्येक घटक और कार्य क्षेत्र के लिए अध्यक्ष के अनुमोदन से आवश्यकता पड़ने पर समिति या मंडलों का गठन करना।

(ख) प्राधिकरण के सभी अधिकारी एवं स्टाफ के कर्त्तव्य निर्धारित करना।

(ग) आवश्यक पर्यवेक्षण और अनुशासनात्मक नियंत्रण करना।

(घ) प्राधिकरण तथा उसकी क्रियान्वयन इकाईयों की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करना और उनका पर्यवेक्षक करना/कराना।

(च) प्राधिकरण और उसकी कार्यककारिणी की बैठकों का प्रबंध करना ।

परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों की संरचना

42. ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए चुने गये क्षेत्र परियोजना क्रियान्वयन इकाई का गठन किया जावेगा यह इकाई कार्यक्रम का मैदान पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।

43. ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम के लिए परियोजना क्रियान्वयन इकाई एक महत्वपूर्ण इकाई होगी जिसे कार्यकारिणी द्वारा सुपरिभाषित शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जावेगी।

44. परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों के कृत्यों और शक्तियों का निर्धारण कार्यकारिणी द्वारा किया जावेगा।

45. प्रत्येक परियोजना क्रियान्वयन इकाई के परियोजना महाप्रबंधक को वे शक्तियाँ और उत्तरदायित्व प्राप्त होंगे जो राज्य स्तर से कार्यकारिणी के निर्देश पर प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सौंपे जावेंगे।

प्राधिकरण की निधियाँ :

46. प्राधिकरण की निधियों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगी –

(i) प्राधिकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्य अनुदार

(ii) अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अभिदान

(iii) प्राधिकरण की आस्तियों से प्राप्त आय

(iv) अन्य स्त्रोतों से होने वाली प्राप्तियाँ तथा

(v) केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से विदेशी एजसिंयों से प्राप्त होने वाला किसी भी प्रकार का अनुदान, दान या सहायता राशि प्राधिकरण के बैकर्स की नियुक्ति संबंधी निर्णय कार्यकारिणी करेगी। सभी निधियाँ प्राधिकरण के बैंक खाते जमा की जावेंगी और केवल कार्यकारिणी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/अधिकारीयों द्वारा हस्ताक्षरित चैक से ही आहरित की जा सकेगी।

लेखा एवं आडिट :

47. (1) प्राधिकरण समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित करेगा। वह मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत नियमों के तहत राज्य शासन के रजिस्टार आफ सोसाइटी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आय व्यय के हिसाब और और दायित्वों के पत्रक सहित वार्षिक लेखा तैयार करेगा परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदानों के लेखाओं की तैयारी में केन्द्र सरकार के निर्देशों का अनुसरण किया जावेगा।

(2) प्राधिकरण के लेखा का आडिठ प्रतिवर्ष कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा ।

(3) आडिठ किये जा चुके लेख प्राधिकरण को भेजे जावेगें जो आडिट रिपोर्ट की एक प्रति अपनी टीकाओं के साथ राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा।

(4) प्राधिकरण के लेखे, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवें सेवा शर्त) अधिनियम 1971 यथा समय समय पर संशोधित के प्रावधानों के भी अध्यधीन होंगे।

वार्षिक रिपोर्ट :

48. प्राधिकरण द्वारा वर्ष के दौरान संपादित कार्यो पर कार्यकारिणी एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी तथा उसे प्राधिकरण की साधारण सभा की वार्षिक बैठक में आडिठ किये जा चुके लेखाओं तथा आडिठ रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगी। प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद ये अभिलेख राज्य शासन को प्रस्तुत किये जावेंगे।

संशोधन :

49. इन नियमों में संशोधन प्राधिकरण की साधारण सभा के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत से किया जा सकेंगे परन्तु मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रिकरण नियम 1973 के नियम 10 के तहत पंजीकरण होने के उपरांत संशोधन प्रभावशील होंगे।

50. राज्य शासन के अनुमोदन से प्राधिकरण अपने उद्देश्यों को बढ़ा–घटा या बदल सकेगा जिसका पंजीयन धारा 10 के अधीन करना होगा एवं धारा 15 का पालन करना होगा या मध्यप्रदेश सोसाइटी अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार स्वयं का किसी अन्य सोसाइटी के साथ पूर्ण या आंशिक रूप से एकीकरण कर सकेगा या क्रियान्वयन इकाईयों का अपने से पंजीयन कर सकेगा।

51. जब कभी इन नियमों में उल्लेखित मंत्रालयों, विभागों, संस्थाओं या पदों के नामों कोई परिवर्तन होगा तो ऐसे परिवर्तन इन नियमों में स्वतः ही समाविष्ट कर दिये माने जावेंगे।

52. यदि प्राधिकरण को भंग करने की आवश्यकता पड़े तों मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अध्याय आठ के प्रावधानों के अनुसार ऐसा किया जायेगा।

53. प्राधिकरण के बंद या भंग हो जाने की दशा में प्राधिकरण के सभी ऋणों एवं देनदारियों की पूर्ति के बाद यदि कोई संपत्ति शेष बचेगी तो उसका प्राधिकरण के सदस्यों को भुगतान या उनमें बंटवारा नही होगा वरन् यह संपत्ति राज्य शासन में वेष्ठित होगी और राज्य शासन उसके उपयोग आदि के विषय पर निर्णय लेगा।

राज्य शासन की शक्तियाँ :

54. राज्य शासन प्राधिकरण के कार्य और प्रगति की समीक्षा करने और उसके मामलों की जाच कर विहित रूप से रिपोर्ट देने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी, और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य शासन, रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी मसले पर ऐसे निर्देश दे सकेगी जैसा वह आवश्यक समझे, और प्राधिकरण ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा। इसके अलावा राज्य शासन किसी भी समय प्राधिकरण की नीति विषयक
मसलों पर निर्देश जारी कर सकेगा और प्राधिकरण ऐसे निर्देशों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए बाध्य होगा।

विविधः

55. मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 27 की अपेक्षानुसार प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा की बैठक से 14 दिन के अंदन कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को प्रस्तुत की जाएगी एवं धारा 28 के अधीन परीक्षित आय व्यय पत्रक बेलेन्सशीट आडीटर की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जावेगी।

56. मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के सभी प्रावधान प्राधिकरण पर लागू होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि प्राधिकरण के नियमों की यह प्रामाणित प्रति है।

हस्ता / –	हस्ता / –	हस्ता / –
(मुख्य कार्यपालन अधिकारी)	(सदस्य सचिव)	(अध्यक्ष)
पी.के. दाश	बी.के. दास	अजय सिंह